

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सरगांव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 अप्रार्थी

किस्म मुकदमा - धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957।

नंबर 263 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 /

वकील प्रार्थी:- तहसीलदार किशनगढ़

वकील अप्रार्थी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 29.11.2024 | <p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरगांव पटवारी हल्का सरगांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा संख्या 108 कुल रकबा 13.5831 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.5400 हैक्ट. व खसरा संख्या 19 कुल रकबा 65.9982 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.3420 हैक्ट रकबा में सरगांव से नयागांव तक रास्ता बना होने से उक्त रकबा को रास्ते हेतु अधिगृहित कर उक्त भूमि में रास्ता कायम करने व रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया।</p> <p>हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ग्राम सरगांव पटवारी हल्का सरगांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा संख्या 108 व खसरा संख्या 19 की किस्म चरागाह है जो कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा चरागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

